

(फार्म - 19 / Form - 19)
(नियम 59 (2) देखें / See Rule 59(2))

अनुसूची - X में विनिर्दिष्ट औषधियों के अलावा, लाईसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु आवेदन
(विक्रय, भण्डारण, प्रदर्शन, वितरण या विक्रय प्रस्ताव के लिए) Application for grant or renewal of
a Licence (To sell, stock, exhibit or offer for sale or distribution) of drugs other than those
specified in schedule - X.

1. मैं / हम द्वारा
एवं कॉस्मेटिक्स नियम 1945 की अनुसूची - X के अलावा अनुसूची - सी तथा सी (1) में
विनिर्दिष्ट दवाइयों तथा / या अनुसूची - सी, सी (1) तथा अनुसूची - X में विनिर्दिष्ट
दवाइयों के अलावा, औषधियों की थोक / फुटकर विक्रय की लाईसेंस के साथ-साथ
..... के परिसर में दवाखाना चलाने के
लिए आवेदन करते हैं ।

I/we hereby
apply for licence to sell by wholesale / retail drugs specified in schedule C and C(1)
excluding those specified in schedule X and / or drugs other than those specified in
schedule C, C(1) and X to the drugs and Cosmetics Rules, 1945 and also to operate
a pharmacy on the premises situated at.....

2. दवाइयों का विक्रय एवं वितरण योग्यताप्राप्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा, अर्थातः
The sale and dispensing of drugs will be made under the personal supervision of a
qualified person, namely:-

(नाम / Name)..... (योग्यता / Qualification)

(नाम / Name)..... (योग्यता / Qualification)

3. विक्रय की जाने वाली दवाइयों की श्रेणी । Categories of drugs to be sold.

4. विशेष भण्डारण स्थान का विवरण । Particulars for special storage accommodation.

5. सरकारी खाता के मुख्य शीर्ष में शुल्क रु / -

जमा किया गया । A fee of Rupees has been
credited to the Government account under the head of accpunt

दिनांक / Date :

SIGNATURE